मेड़ता

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
थियल दिनांक 6/2/17 को पेश हो।

6/2/17

नायब तहसीलदार
मेड़ता

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
थियल दिनांक 20/2/17 को पेश हो।

20/2/17

नायब तहसीलदार
मेड़ता

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17/2/17 को प्राप्त।
लेख में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासनी द्वारा ने [illegible]
डाडराना से तस्दीक एक रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को कि की अधार्थी [illegible]
जयरीराम जाति बावरी निवासी मोहनवाड़ी के ख.नं. 192 रकबा 0.34 है. [illegible]
[illegible] पंचायत 2013 खसरे में पक्का मकान व कच्ची दिवार से बाड़ा बना
अवैध कब्जा किया हुआ है।

इस प्रकार अधार्थी के विरुद्ध LAC 1956 की धारा 9 के तहत
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे अधार्थी को
विधिवत तामिल कराया गया। उक्त नोटिस के जवाब में गैर तामील को दिनांक
को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया कि उक्त ख.नं. 192 रकबा 0.3
पर उसका कब्जा व काश्त जन्म से है तथा उसके भरण पोषण का एक [illegible]

इस पर पटवारी हल्का से तस्दीक रिपोर्ट हेतु लिखा गया
कि दिनांक 17/2/17 को प्राप्त हुई पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि अधार्थी ने हाल ही संवत 2013 खसरे में उक्त ख.नं. 192 रकबा 0.34
पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह दावा है कि वह जन्म से काबिज
गलत है साथ ही शपथ पत्र में अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल
करना अति आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि उ
का मुतनाजा आराजी पर अवैध कब्जा है अतः अधार्थी को अतिक्रमी घो
किया जाता है तथा उसे उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आ
दिया जाता है। गैर तामील को लगान पर 20 x 0.34 = 6.8 का 50 गुणा रु. 34
(लोक न्यायालय रु.) जुर्माना कायम किया जाता है। गैर तामील को मौखिक रूप
बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली एवं पेश करने हेतु पटवारी हल्का बासनी
व TRA को लिखा जाता है। पत्रावली बाद फैसला फैसल शुदा होकर नाकारा
से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

दिनांक 20-2-17 रुपये 340 के 4 कोर्ट फीस टिकट लगे हैं पर दर्ज की
तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता